

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 18-01/2005/20-3  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/5/11

आयुक्त,  
लोक शिक्षण,  
भोपाल, म०प्र०।

विषय :- अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों को पांचवे वेतनमान में 1-1-96 से 31-3-2000 तक सीपीएफ. राशि मुगतान बावत।

—0000—

उपरोक्त विषयांतर्गत शासन ज्ञाप दिनांक 10.3.2000 के अनुसार सीपीएफ. जमा करने का उत्तरदायित्व नियोक्ता का है। तत्समय अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों को म.प्र. अशासकीय शिक्षण संस्था अधिनियम 1978 लागू था। इस अधिनियम में संशोधन वर्ष 2000 में किया गया और इसे 1-4-2000 से लागू किया गया।

इन संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को पांचवा वेतनमान 12.3.2007 को दिनांक 1-1-96 से 31-3-2000 की स्थिति में मुगतान किया गया है।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को दिनांक 1-1-96 से 31-3-2000 तक सीपीएफ हेतु अशासकीय अंश का 8% प्रतिशत मुगतान की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

3/2/11  
24/5/11  
(के.आर.सपाध्याय)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा क्रमांक एफ 18-01/2005/20-3  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग, भोपाल, म०प्र०। नस्ती क्रमांक एफ 18-1/20-3/2005 पर वित्त विभाग की सहमति टीप सी.आर. 232/iv/बी-3, दिनांक 14.03.2011 के संबंध में सूचनार्थ। महालेखाकार, म०प्र०, ग्वालियर।
- 2.
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

10/6/11  
25/5/11

मुगतान  
26/5  
OSD/AS (Grant)  
शुभका नरेश्वर प्रसन्न

22/5  
del. Director  
Grant

3-1/11  
13  
25/5/11

# लोक शिक्षण संचालनालय , मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462023


Phone-0755-2583650 Fax 0755-2583651 e-Mail -grant-dpi@mp.gov.in

पृष्ठांकन क्रमांक अनुदान/बी/25/07-11/300

प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 4-6-11

- 1/ प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- 1/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल
- 2/ महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 4/ समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश
- 5/ समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
- 6/ समस्त सभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
- 7/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि वे शासन निर्देशानुसार गणना पत्रक तैयार कर एवं आवश्यक राशि का प्रस्ताव बजट शीर्षवार इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।
- 8/ बजट कक्ष (स्थानीय) लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



अपर संचालक  
लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश